अध्याय - पंचम

शोध सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय - पंचम

शोध, साराँश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 भूमिका

5.2 शोध कथन

5.3 शोध उद्देश्य

5.4 शोध परिकल्पना

5.5 शोध के चर

5.6 शोध उपकरण

5.7 न्यायदर्श चयन प्रक्रिया

5.8 शोध का सीमांकन

5.9 शोध निष्कर्ष

5.10 शोध हेतु सुझाव

5.11 भावी शोध हेतु सुझाव

I संदर्भ ग्रन्थ सूची

II परिशिष्ट

अध्याय – पंचम

5.1 भूमिका :–

अनुसूचित जनजाति के लोग हमेशा से ही अधिक पिछड़े और आधुनिकता से दूर रहते आए है इसी कारण उनका विकास समाज में होते आए सामान्य विकास से कम रहा है एवं जिस प्रकार लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थति में सुधार हुआ है। ये लोग उसमें भी बराबर सहभागी नही हो पाए तथा इसका प्रभाव इनकी शिक्षा एवं उन्नति एवं व्यवसायिक स्वरूप पर स्पस्टतः दृष्टिगोचर होता रहा है। आदिवासियों कि यही दशा सुधारने एवं इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार आदिवासी छात्रों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई तथा इनके विकास के लिए आदिवासी शालाएँ खोली गई। चूंकि आदिवासियों के पिछड़े जन का एक मुख्य कारण उनकी शिक्षा है इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी शिक्षा के लिए विशेष उपबंध किए गए तथा आदिवासी छात्रों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ण करवाई गई तथा इनके विकास के लिए आदिवासियों के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण उनकी शिक्षा है इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी शिक्षा है इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी शिक्षा के लिए विशेष उपबंध किए गए।

शोधकर्ता बैतूल जिले के विकासखण्ड भैंसदेही एवं बैतूल अनुसूचिज जनजाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षिक आकांक्षा एवं व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

5.2 शोध कथन :–

आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति शैक्षिक आकांक्षा एवं व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन।

5.3 शोध उद्देश्य :–

1. आदिवासी एवं गैर आदिवीस छात्रों की शैक्षिक आकांक्ष का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. आदिवासी एवं गेर आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

6. उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के छात्रों की व्यवसायिक रूचि का अध्ययन करना।

7. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5.4 शोध परिकल्पना

1. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं है।

2. ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नही है।

3. छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नही है।

4. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अतर नहीं है।

5. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नही है।

6. छात्र एवं छात्राओं की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नहीं है।

7. शहरी क्षेत्र के आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।

8. ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।

5.5 शोध के चर

स्वतंत्र चर

1. जाति 2. लिंग

3. क्षेत्र

परतंत्र चर

1. व्यवसायिक रूचि
2. शैक्षिक आकांक्षा

5.6 शोध उपकरण :

इस परीक्षा का निर्माण एस.पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है। इस उपकरण की विश्वसनीयता का परीक्षण पुनः परीक्षण विधि के माध्यम से किया गया। एक माह के सूक्ष्म अंतराल में यह परीक्षण किया गया जिसमें सह–संबंध गुणांक 0.85 पाया गया। सामाजिक आर्थिक परिसूची का अध्ययन अधिक विस्तार से किया और इस तरह इस उपकरण की विश्वसनीयता स्थापित हुई। इसमें ग्रामीण एंव शहरी छात्रों के लिए अलग–अलग परिसूची है जिसमें 20–20 प्रश्न है तथा शहरी के लिए अधिकतम 250 अंक एवं ग्रामीण के लिए अधिकतम 150 अंक है।

2. व्यवसायिक रूचि प्रपत्र :–

इस परीक्षण का निर्माण एस.पी. कुलश्रेष्ठ ने किया। इस प्रपत्र में साहित्यक, वैज्ञानिक क्रियात्मक, वाणिज्य चरनात्मक, कलात्मक, कृषि अनुक्यात्मक सामाजिक तथा गृह कार्य से संबंधित 200 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रपत्र के भरने का लगभग समय 7–10 मिनिट है। इसका मानकीकरण 1750 ने विद्यार्थियों पर किया गया पुनः परीक्षण विधि से व्यवसायिक प्रपत्र का विश्वसनीय गुणांक निकाला गया जिसका मान 0.89 पाया गया।

3. शैक्षिक आकांक्षा स्तर मापनी :–

इस मापनी का निर्माण डा.एस.के. सक्सेना द्वारा 1984 में किया गया। इसमें आठ प्रश्न मुख्य रूप से सम्मिलित किए गए है तथा प्रत्येक प्रश्न से संबंधित दस विकल्प दिए गए है। इसमें अधिकतम अंक 72 है।

5.7 न्यायदर्श चयन प्रक्रिया :–

शोधकर्ता ने प्रस्तुत समस्या के लिए न्यायदर्श का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। जिसके अंतर्गत बैतूल जिले के भैंसदेही एंव बैतूल विकासखण्ड के दो–दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया जिसमें से प्रत्येक विकासखण्ड से एक कन्या विद्यालय एवं एक बालक विद्यालय का चयन किया

गया एवं प्रत्येक विद्यालय में से लगभग 20 आदिवासी छात्र एवं 20 गैर आदिवासी छात्रों का न्यायदर्श के रूप में चयन किया गया।

5.8 शोध की सीमाएँ :-

1. इस शोध अध्ययन के लिए म.प्र. के 50 जिलों में से सिर्फ बैतूल जिले का ही चयन किया गया।
2. बैतूल जिले के विकासखण्डों में से मात्र बैतूल एवं भैंसदेही दो ही विकासखण्ड का चयन किया गया।
3. प्रत्येक विकासखण्ड से मात्र दो-दो विद्यालयों का ही चयन किया गया।
4. विद्यालय के उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों का ही न्यायदर्श के रूप से चयन किया गया।
5. यह शोध अध्ययन का निष्कर्ष मात्र बैतूल जिले के लिए ही उपयोगी है इसका दूसरे क्षेत्र के लिए सामान्यीकरण नही किया जा सकता है।

5.9 निष्कर्ष :-

1. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नही है तथा मध्यमान के अनुसार आदिवासी छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा गैर आदिवासी छात्रों से अधिक है।
2. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नही है तथा मध्यमान के अनुसार ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा शहरी छात्रों से अधिक है।
3. छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नही है तथा मध्यमान के अनुसार छात्राओं की अपेक्षा छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा अधिक पाई गई।
4. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नही है तथा मध्यमान के अनुसार वाणिज्य एवं अनुक्यात्मक व्यवसायिक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों जैसे साहित्य, वैज्ञानिक, क्रियात्मक, रचनात्मक, कलात्मक, कृषि, सामाजिक एवं गृह कार्य में गैर आदिवासी छात्रों की रूचि अधिक है।

5. ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नही है। मध्यमान के अनुसार वाणिजय व्यवसायिक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र जैसे साहित्य, वैज्ञानिक, क्रियात्मक, रचनात्मक, कलात्मक, कृषि, सामाजिक एवं गृह कार्य में शहरी छात्रों की रूचि अधिक पाई गई।

6. छात्र एवं छात्राओं की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नहीं है तथा मध्यमान के आधार पर छात्राओं की व्यवसायिक रूचि छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

7. शहरी क्षेत्र के आदिवासी और गैर आदिवासी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।

8. ग्रामीण क्षेत्र के आदिासी और गैर आदिवासी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।

5.10 शोध हेतु सुझाव :-

लघु शोध प्रबंध से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर शोधकर्ता द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार है।

1. विद्यार्थियों को व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन एवं नए व्यवसाय क्षेत्र के बारे में हमेशा अवगत कराना चाहिए।
2. समय-समय पर केरियर काउंसलर द्वारा विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन कराना चाहिए।
3. शाला में छात्रों के लिए व्यवसायिक समाचार एवं पत्रिकाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए।
4. अध्ययन के अनुसार आदिवासी छात्रों की व्यवसाय में रूचि सामान्य छात्रों से कम पाई गई अतः समय-समय पर मुफ्त प्रशिक्षण करना चाहिए।
5. ग्रामीण एवं आदिवासी छात्रों को परंपरागत व्यवसायों के अलावा अन्य आधुनिक व्यवसायों के प्रति उत्साहित करना चाहिए।
6. छात्रों की परंपरागत व्यवसायों जैसे कृषि आदि में भी आधुनिक क्षेत्रों से अवगत कराना चाहिए ताकि वे आधुनिक समय के अनुसार उस व्यवसाय को देखें।

7. शिक्षकों को छात्रों के अंदर विद्यमान विभन्न व्यवसाय के प्रति कौशल या लगाव को पहचानने के लिए प्रतियोगिता एवं परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवसायिक मार्गदर्शन के बेहतर प्रबंध करना चाहिए जैसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ विशेष रूप से उपलब्ध करना चाहिए।

5.11 भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव :-

प्रस्तुत शोध कार्य की परिसीमन शोध निष्कर्ष एवं शोध सारांश के आधार पर भावी शोध क्षेत्र निम्न प्रकार हो सकते है।

1. छात्रों के व्यवसायिक चयन में अभिभावकों की शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन।
2. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन।
3. छात्रों के व्यवसाय चयन स्कूल में दिए जाने वाले मार्गदर्शन के प्रभाव का अध्ययन।
4. शिक्षकों का छात्रों को व्यवसायिक परामर्श देने के दृष्टिकोण का अध्ययन।
5. आदिवासी एव गैर आदिवासी छात्रों में समायोजन की क्षमता का अध्ययन।
6. आवासी छात्र एवं सामान्य छात्रों की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन।
7. आवासीय आदिवासी छात्राएँ एवं आवासीय अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन।